पत्रांकः विधि/2023–2024/कानपुर परिपत्र सं० 2324003/ 20 /राज्य कर।

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश के विभिन्न कॉर्पोरेट सर्किल में पंजीकृत व्यापारियों के क्षेत्राधिकार निर्धारण के सम्बन्ध में।

मुख्यालय स्तर पर आई0टी0 अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त जोन के 50,000 डीलर्स के डाटाबेस एवं प्रत्येक जोन से प्राप्त 100 पंजीकृत व्यापारियों की सूची का आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात् प्रत्येक जोन हेतु 60 पंजीकृत व्यापारियों का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जोन की कॉर्पोरेट सर्किल को आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक– 25–06–2021 द्वारा प्रदान किया गया है।

वर्तमान में विभिन्न जोन से कॉर्पोरेट सर्किल के पुनर्गठन/फर्म के क्षेत्राधिकार परिवर्तन के प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त हुए हैं।

विभिन्न प्रस्तावों पर विचारोपरांत एवं समस्त तथ्यों के दृष्टिगत कॉर्पोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में एकरूपता की दृष्टि से निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम टैक्स पीरियड का रिटर्न GSTR-3B दाखिल करने की अन्तिम तिथि के उपरांत प्रत्येक जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर द्वारा वित्तीय वर्ष के कर योग्य टर्नओवर तथा देय कर के आधार पर, राज्य के अधिकार क्षेत्र के 100 सबसे बड़े पंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित किया जाएगा। उक्त 100 व्यापारियों में से 60 पंजीकृत व्यापारियों (45 पंजीकृत व्यापारी माल की आपूर्ति एवं 15 पंजीकृत व्यापारी सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित) का क्षेत्राधिकार जोन के संयुक्त आयुक्त (कॉर्पोरेट सर्किल) को दिये जाने का सुविचारित प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के अन्तिम टैक्स पीरियड के रिटर्न GSTR-3B दाखिल करने की अन्तिम तिथि के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रेषित प्रस्ताव में निर्माता (Manufacturer), ट्रेडर्स, निर्यातक, संवेदनशील वस्तुओं तथा कर की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न सेवाओं के पंजीकृत व्यापारियों को सम्मिलित करते हुए उक्त मानकों के आधार पर सुविचारित सूची का निर्धारण किया जाये। उक्त निर्धारित समय सीमा के उपरांत कॉर्पोरेट सर्किल के पुनर्गठन/फर्म के क्षेत्राधिकार परिवर्तन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ii) जिस जोन में 100 सबसे बड़े पंजीकृत व्यापारियों में सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 15 से कम है, उस जोन से प्रेषित प्रस्ताव में सेवाओं की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े 15 पंजीकृत व्यापारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

(iii) भविष्य में कॉर्पोरेट सर्किल के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन अपेक्षित होने पर संशोधन के प्रस्ताव सम्बन्धित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरान्त उक्त मानकों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही मुख्यालय प्रेषित किये जाएगें। वित्तीय वर्ष के मध्य में उपरोक्तानुसार किसी संशोधन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय–सीमा में सुविचारित प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18/4/23
(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।